

SLC/35.2
5/7/11 (118)

(52)

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांक :- प 10(35)नवि/3/09 पार्ट

जयपुर दिनांक 12/9/11

1. सचिव,
जयपुर / जोधपुर विकास प्राधिकरण
2. सचिव,
राजस्थान आवासन मण्डल
3. निदेशक,
स्थानीय निकाय विभाग
4. सचिव,
नगर सुधार न्यास (समस्त)

प 833
5/7/11

8/9/11

विषय :- मास्टर प्लान में परिधी नियंत्रण पट्टी/इकोलॉजिकल क्षेत्र/ग्रामीण क्षेत्र हेतु आरक्षित भूमि के भू-उपयोग परिवर्तन बाबत माननीय उच्च न्यायालय से अनुमति प्राप्त करने बाबत

उपरोक्त विषयान्तर्गत राज्य सरकार की घोषणा के अनुरूप प्रशासन शहरों के संग अभियान दिनांक 02.10.2011 से प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है। इस संबंध में दिनांक 22 व 23.06.2011 को आयोजित कार्यशाला में नगरीय स्थानीय निकायों/ नगर विकास न्यासों द्वारा अवगत कराया गया कि भू-उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी.सिविल रिट पिटिशन संख्या 1554/2004 श्री गुलाब कोठारी बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान व अन्य में दिनांक 09.12.2010 को भू-उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में प्रदत्त आदेश में मास्टर प्लान में परिधी नियंत्रण पट्टी/इकोलॉजिकल क्षेत्र एवं ग्रामीण क्षेत्र हेतु आरक्षित भूमि का भू-उपयोग परिवर्तन माननीय उच्च न्यायालय की पूर्वानुमति के बिना नहीं किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। जिस कारण ऐसे प्रकरणों का निस्तारण नहीं हो पा रहा है।

उक्त स्थगन आदेश को दृष्टिगत रखते हुए यह निर्देश दिये जाते हैं कि ऐसे महत्वपूर्ण प्रकरण जिनमें भूमि आवंटन करने हेतु या अन्य परियोजनाओं की क्रियान्विति हेतु परिधी नियंत्रण पट्टी/इकोलॉजिकल क्षेत्र एवं ग्रामीण क्षेत्र के लिए

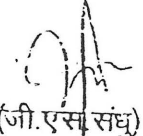
OTR (544)
1/

(243)

आरक्षित भूमि का भू-उपयोग परिवर्तन कराया जाना अत्यावश्यक है तो ऐसे प्रकरणों की इकजायी सूची तैयार कर आपके स्तर पर उपयुक्त अधिवक्ता के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय में भू-उपयोग परिवर्तन की अनुमति हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत कराये जावे एवं माननीय उच्च न्यायालय से अनुमति प्राप्त कर अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित की जावे। उक्त कार्यवाही 31 जुलाई, 2011 तक आवश्यक रूप से सम्पादित की जावे।

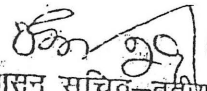
इसके अतिरिक्त दिनांक 17.06.1999 से पूर्व बसी आवासीय कॉलोनियों के नियमन हेतु यदि मास्टर प्लान में उपरोक्त वर्णित क्षेत्रों की भूमियों का भू-उपयोग परिवर्तन कराया जाना आवश्यक हो तो माननीय उच्च न्यायालय में उपयुक्त अधिवक्ता के माध्यम से भू-उपयोग परिवर्तन की अनुमति हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत कराये जावे एवं अनुमति प्राप्त कर भू-उपयोग-परिवर्तन की कार्यवाही सुनिश्चित की जावे ताकि उक्त योजनाओं का नियमन किया जाना संभव हो सके। इस दौरान ऐसी योजनाओं का सर्वे कराकर ले-आउट प्लान तैयार कर सक्षम समिति से अनुमोदन प्राप्त कर लिया जावे जिससे माननीय उच्च न्यायालय की अनुमति प्राप्त होने पर अभियान के दौरान शिपियों में पट्टे वितरित कर आमजन को राहत प्रदान की जा सकें।

उपरोक्त निर्देशों की पालना में तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित की जावे एवं समय-समय पर आप द्वारा की गयी प्रगति से विभाग को अवगत कराया जावे।


(जी.एस.सिंधु)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
3. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।


उप शासन सचिव-नृतीय 29/6/2011